राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर

(A Unit of RMV)

महाविद्यालय कार्मिकों हेतु नियमावली

1. आचरण नियम :–

संस्था के सेवा नियम 2013 संशोधित 2017 के बिन्दु संख्या 9 (9.1 से 9.3) तक उल्लिखित आचरण नियमों की पालना महाविद्यालय के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है।

2. उपस्थिति एवं समय की पाबंदी :–

आर.एम.वी. संस्थान के सेवा नियम 2017 के अनुरूप अवकाश संबंधी निम्नलिखित नियमों की पालना अनिवार्य है :–

2.1 महाविद्यालय कार्मिक को संस्था द्वारा निर्धारित समय पर निश्चित रूप से उपस्थित होना है तथा निर्धारित समय के पूर्ण होने के पश्चात् ही जाना है।

2.2 समस्त कार्मिकों को अनिवार्य रूप से संस्था में पहुंचने की अपनी उपस्थिति दर्ज/पंजीकृत करवानी है।

2.3 उपस्थिति दर्ज/पंजीकृत करवाने के पश्चात् यदि कार्मिक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सेवा स्थल से अनुपस्थित पाया गया तो उसे उस दिन से सेवा से अनुपस्थित माना जायेगा।

3. अवकाश :– अवकाश के संदर्भ में संस्था के अवकाश प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना अनिवार्य है :–

3.1 अवकाश केवल कर्तव्य से अर्जित होता है।

3.2 अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता।

3.3 अवकाश पर जाने से पूर्व उसकी स्वीकृति आवश्यक है।

3.4 अवकाश कभी भी बिना कारण बताए इन्कार/ निरस्त/ कम किया जा सकता है। अवकाश की स्वीकृति हो जाने पर भी कर्मचारी को अवधि समाप्ति से पूर्व बुलाया जा सकता है।

3.5 बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति की श्रेणी में आता है और ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

3.6 किसी भी प्रकार के अवकाश को अवकाश पर जाने से पूर्व स्वीकृत कराना आवश्यक है यकायक दुर्घटना होने पर या बीमार हो जाने की स्थिति में अपने नियंत्रण अधिकारी को उसी दिन वाहक/दूरभाष के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।

3.7 अवकाश प्रार्थना पत्र में अवकाश का सुस्पष्ट कारण लिखना अनिवार्य है।

3.8 आकस्मिक के अलावा अन्य प्रकार के अवकाश के लिए कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन करें।

मंत्री
राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर
मंत्री
राजस्थान महिला विद्यालय
उदयपुर-313001

प्राचार्या
राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर

PRINCIPAL
R.M.T.T. COLLEGE
UDAIPUR

राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर

(A Unit of RMV)

छात्राओं हेतु महाविद्यालय संबंधी नियम

1. प्रत्येक छात्राध्यापिका के लिए पंचाग (केलेण्डर) समय सारणी एवं समय–समय पर प्रसारित नियमों की पालना करना आवश्यक है।
2. बी.एड. प्रशिक्षण की अवधि में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक किसी भी प्रकार की नौकरी अथवा अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्वीकारना पूर्णतया वर्जित है।
3. राजकीय सेवा में कार्यरत छात्राध्यापिकाएँ महाविद्यालय प्रवेश हेतु कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र साथ लाएँ अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. प्रत्येक छात्राध्यापिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति पूर्ण करने पर ही वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगी।
5. अध्यापन अभ्यास एवं महाविद्यालय की अन्य गतिविधियों के समय किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा एवं अनुपस्थित रहने वाली छात्रा वार्षिक परीक्षा से स्वतः ही वंचित हो जाएगी।
6. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रशिक्षण छोड़ने पर जमा किया हुआ शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।
7. प्रत्येक छात्राध्यापिका को महाविद्यालय की गणवेश में महाविद्यालय ID Card भर कर निश्चित समय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
8. समस्त विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।
9. महाविद्यालय प्रांगण की स्वच्छता का ध्यान रखे।
10. महाविद्यालय में समय पर उपस्थित होवे।
11. प्रार्थना सभागार में अनुशासन बनाये रखें।
12. प्राचार्या कक्ष व स्टाफ रूम में अनुमति लेकर प्रवेश करें।
13. नियमित रूप से महाविद्यालय आवें।
14. वाहन व्यवस्थित स्थान पर रखे यदि छात्रा स्वयं के वाहन पर आती है । ड्राईविंग License की प्रति जमा करावें Helmat का अनिवायतः उपयोग करें।
15. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक इधर–उधर न घूमे।
16. सभी शिक्षकों का सम्मान करें।
17. College ID पहनकर महाविद्यालय आवे।
18. कक्षा में Mobile Silent Mode पर रखे या Switch off कर रखे।

मंत्री
राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर
मंत्री
राजस्थान महिला विद्यालय
उदयपुर-313001

प्राचार्या
राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर
PRINCIPAL
R.M.T.T. COLLEGE
UDAIPUR

राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर

(A Unit of RMV)

छात्रावास से संबंधी नियम

1. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रेषित करना आवश्यक है।
2. छात्रावास में प्रवेश के समय माता–पिता या संरक्षक को स्थानीय संरक्षक का नाम व फोटो तथा पूरे सत्र में मिलने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न करनी होगी तथा माता, पिता, संरक्षक द्वारा उक्त सूची को सत्यापित करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को छात्राओं से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. छात्राओं को Common उपयोग हेतु बिजली, पंखा, कचरा पात्र एवं व्यक्तिगत उपयोग हेतु टेबल, कुर्सी अलमारी, पलंग (स्वेच्छा अनुसार बिस्तर) उपलब्ध करवाया जाता है। यह सुविधाएँ रजिस्टर मे हस्ताक्षर करवा कर दी जाती है।
4. छात्राओं को नहाने के लिए गरम पानी व पीने हेतु RO युक्त पानी उपलब्ध करवाया जाता है।
5. Common use हेतु टॉयलेट, टी.वी., खेलकूद व कॉमन रूम उपलब्ध करवाया जाता है

1. निवास हेतु आर्दश व्यवहार नियम

6. छात्रावास अधीक्षिका की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी छात्रा अपना कमरा या छात्रावास से प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकेगी।
7. छात्राओं को चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर के निर्धारित समय पर भोजनशाला में बैठकर ही करना होगा। कक्ष में भोजन ले जाने की अनुमति नहीं है।
8. भोजनशाला में लाईन बनाकर ही भोजन लें तथा अनुशासन बनाए रखें।
9. छात्राओं को स्वयं अपने कक्ष की सफाई करनी होगी। छात्रावास परिसर और शौचालय संबंधी सफाई पर भी छात्राओं को ध्यान देना आवश्यक होगा।
10. झूठे बर्तन निर्धारित स्थान पर ही धोने एवं कपडों को भी निर्धारित स्थान पर ही सुखाने की जिम्मेदारी भी छात्राओं की होगी।
11. सूर्योदय होने पर बिजली बंद करना प्रत्येक छात्रा का दायित्व होगा। महाविद्यालय में समय–समय पर होने लघु एवं लम्बे अवकाश के समय छात्रा के कक्ष में बिजली जलती हुई पायी गई तो उस कक्ष में रहने वाली समस्त छात्राओं को वोल्टेज की दर से दुगुना व्यय जमा कराना होगा।
12. छात्रावास के कमरों की दिवारों तथा दरवाजों पर लिखना मना है।

मंत्री
राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर
मंत्री
राजस्थान महिला विद्यालय
उदयपुर-313001

प्राचार्य
राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर
PRINCIPAL
R.M.T.T. COLLEGE
UDAIPUR